

राजस्थान सरकार
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नीमराना(कोटपूतली-बहरोड)
पीठारीन अधिकारी :- महेन्द्रसिंह यादव (आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र संख्या:-22/25
तारीख रजु:-28.05.2025
निर्णय दिनांक:- 14-10-25

उनवान

1. रामपत पुत्र श्री बसन्ता जाति अहीर निवासी गोंढण तहसील गोंढण जिला कोटपूतली-बहरोड राज।

.....प्रार्थी

बनाम

1. श्रीमान तहसीलदार साहब, गोंढण तह0 गोंढण जिला कोटपूतली-बहरोड राज0

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र- अंतर्गत धारा 111.128, एल0आर0एक्ट0

उपस्थिति:

1. श्री मकरध्वज शर्मा एडवोकेट-प्रार्थी
2. पैरोकार सरकार-अप्रार्थी

--:निर्णय:-


दिनांक

आज यह पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी की खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर हाल 583 रकबा 0.48 है0, 594 रकबा 0.30 है0 वाके ग्राम गोंढण तह0 गोंढण जिला कोटपूतली-बहरोड में स्थित है। जो हम प्रार्थी की खातेदारी काश्त की आराजी दर्ज रिकॉर्ड है जिसकी सीमाज्ञान पैमाईश दिनांक 14.05.2023 को श्रीमान तहसीलदार साहब के आदेशानुसार पटवारी हल्का द्वारा की गई तथा पैमाईश रिपोर्ट दिनांक 14.05.2023 के मुताबिक आराजी मुतनाजा की पुख्ता पत्थरगढी नहीं की गई है तथा तहसीलदार साहब द्वारा राजस्व न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश कर आदेश लेकर आने पर पत्थरगढी की जा सकेगी। इसलिए यह प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार की तामिल हो चुकी है। जवाब पेश हेतु अवसर दिये जाने पर भी जवाब पेश नहीं किया गया। जवाब बन्द किया जाता है। पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई है।

पत्रावली में वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को रिपीट करते हुए आराजी मुतनाजा की पुख्ता पत्थरगढी सीमाज्ञान पैमाईश के आधार पर किया जाने का निवेदन किया गया।

हमने पत्रावली का का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध सीमाज्ञान पैमाईश दिनांक 14.05.2023 का अवलोकन किया गया। सीमाज्ञान पैमाईश तहसीलदार गोंढण के आदेश से पटवारी हल्का द्वारा हाल रिकॉर्ड एवं राजस्व नक्शा के मुताबिक किया गया है तथा पटवारी हल्का द्वारा की गई सीमाज्ञान पैमाईश के विरुद्ध किसी प्रकार की आपत्ति न्यायालय में पेश नहीं की गई है। इसलिए न्याय हित में सीमाज्ञान पैमाईश दिनांक 14.05.2023 के मुताबिक प्रार्थी के खसरा नम्बर 583 रकबा 0.48 है0, 594 रकबा 0.30 है0 वाके ग्राम गोंढण तह0 गोंढण जिला कोटपूतली-बहरोड पर पुख्ता पत्थरगढी किया जाना उचित प्रतित होता है। इसलिए पत्रावली पर उपलब्ध


उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (कोटपूतली-बहरोड)

दस्तावेजात एवं सीमाज्ञान पैमाईश के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य पाया जाता है।

आदेश

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 128,111, आर0टी0एक्ट स्वीकार किया जाकर तहसीलदार मॉढण को आदेश दिया जाता है। कि प्रार्थी की खातेदारी के खसरा नम्बर 583 रकबा 0.48 है0, 594 रकबा 0.30 है0 वाके ग्राम मॉढण तह0 मॉढण जिला कोटपूतली-बहरोड की सीमाज्ञान पैमाईश दिनांक 14.05.2023 के आधार पर चारों तरफ के खातेदारों की उपस्थिति में पुख्ता पत्थरगढी करे। पैमाईश के मुताबिक पत्थरगढी की एवज में किसी को कब्जा नहीं दिलवाये। तहसीलदार मॉढण को आदेश की पालनार्थ अलग से लिखा जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय आज दिनांक 14.10.25 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय सुनाया गया।



(महेन्द्रसिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी
मौराना (कोटपूतली-बहरोड)
जिला कोटपूतली-बहरोड(राज0)